मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल

MPPHSCL

क्र.3664 / फा. / म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. / तकनीकी / 2021 भोपाल, दिनांक 18/04 /2021

प्रति,

समस्त,
संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः–कोविड–19 में लगने वाली आवश्यक औषधि एवं सामग्री हेतु तीन माह का बफर स्टॉक सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, वर्तमान में कोविड–19 से निर्मित संक्रमण जो कि विश्वव्यापी एवं सम्पूर्ण प्रदेशों में फैला हुआ है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर की समीक्षा उपरांत यह संज्ञान में आया है कि, प्रदेश के कुछ जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड–19 में लगने वाली आवश्यक औषधि एवं सामग्री जो जीवन रक्षक औषधि की श्रेणी में आती हैं की उपलब्धता कम है।

अवगत हो कि, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा कोविड–19 में लगने वाली आवश्यक औषधि एवं सामग्री उपलब्धता की समीक्षा की जावेगी। उक्त के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि, उपलब्ध करायी गयी सूची अनुसार कोविड–19 में लगने वाली समस्त आवश्यक औषधि व सामग्री की उपलब्धता समीक्षा बैठक से पूर्व ही आपके अधीनस्थ औषधि भण्डार गृह में सुनिश्चित करें। साथ ही, संस्था की तीन माह की आवश्यकता अनुसार औषधि व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रदायकर्ता फर्मो को क्रयादेश जारी करें जिस हेतु "एम.पी. औषधि" एवं एन.एच.एम. के B-32-1 एवं E-Vitta में राशि उपलब्ध है।

यदि राज्य स्तरीय समीक्षा में यह पाया जाता है कि, आपके औषधि भण्डार गृह में उक्त औषधि एवं सामग्री की उपलब्धता कम / निरंक है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस
कार्पोरेशन लि.,भोपाल
दिनांक– 18/04 /2021

पृ.क्र.3665 / म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि / तकनीकी / 2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल।
3. संचालक (अस्पताल प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
4. संचालक (वित्त एवं प्रशासन) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
5. उपसंचालक, औषधि प्रकोष्ठ शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
6. समस्त ओ.आई.सी. मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि, आपके अधिनस्थ जिलों के संबंधितों से समन्वय स्थापित कर औषधि / सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवानें का कष्ट करें।
7. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस
कार्पोरेशन लि.,भोपाल

Scanned with CamScanner